

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर


क्रमांक:- एफ.11(2)/बजट घोषणा/मों/आईसीडीएस/2015-16 85333-65 जयपुर, दिनांक:  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, (समस्त) । 17-5-18

विषय:- आंगनबाड़ी भवन निर्माण की प्रगति के संबंध में।  
सन्दर्भ:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 200359-91 दिनांक  
26.12.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि आपके जिले में नरेगा कर्नलजेंस योजना के तहत वर्ष 2015-16 में आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लक्ष्य आवंटित किये गये थे, परन्तु आदिनांक तक प्रगति संतोषजनक नहीं होने की वजह से उच्च स्तर पर एवं भारत सरकार द्वारा प्रगति की समीक्षा के दौरान विभाग को जवाब देय माना जाता है, जिसके संबंध में आपको संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे :-

1. जहाँ आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी नहीं हुई हैं उन केन्द्रों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करावें।
2. जिन भवन निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, उन कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करवाया जायें।
3. जो कार्य प्रगतिरत है, उन्हें शीघ्र पूर्ण करवाया जायें।
4. जो कार्य पूर्ण हो चुके है, उन्हें विभाग को हस्तान्तरित किया जावें।
5. उक्त कार्य समयबद्ध गुणवत्ता युक्त हो यह सुनिश्चित किया जावें।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.11(2)/बजट घोषणा/मों/आईसीडीएस/2015-16 85366-99 जयपुर, दिनांक:  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 17-5-18

1. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त को भेजकर लेख है, कि आप संबंधित भवन निर्माण कार्य की प्रत्येक स्तर पर समीक्षा करें एवं जिला परिषद पंचायत समिति व ग्राम पंचायत पर समन्वय स्थापित कर इन कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें, और नये भवनों में आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही भी करें
2. श्रीमान ए.सी.पी. को निर्माण के वक साइट पर उपलब्ध करने हेतु।

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर